रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 321] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 1972/आषाढ़ 13, 1894

No. 321] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 4, 1972/ASADHA 13, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 4th July 1972

ORDER

S.O. 462(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

In Delhi, Meerut and Bulandshahr Milk and Milk Products Control Order, 1972 issued under S.O. 342(E), dated 6th May, 1972, in clause 3(b) *for* the following words "(b) export milk of any kind, or" *substitute* the words "export milk of any kind except sour butter milk, or".

[No. 19-4/72-LDI.]

S. J. MAJUMDAR, Addl. Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1972

एस० ओ०–462(अ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:—

दिल्ली, मेरठ और बुलन्दशहर दूध और दूध उत्पाद नियंत्रण आदेश, 1972, को जो का० आ० 342 (ई०) तारीख 6–5–1972 के अन्तर्गत जारी किया गया था, के खंड 3 (ख) में "(ख) किसी भी प्रकार के दूध का निर्यात नहीं करेगा; अथवा" शब्दों के स्थान पर "सिवाय खटास युक्त छांछ के किसी भी प्रकार के दूध का निर्यात नहीं करेगा; अथवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे।

[सं० 19–4/72–एल० डी०–1]

एस० जे० मजुमदार, अपर सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972